(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ (

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(विभागराजस्व)

अधिसूचना संख्या 15/2019 -एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 667 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";

(ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या - 354/131/2019-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: -प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1262 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।